मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-13.08.2014 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सचिव, विधि विभाग को महाधिवक्ता, बिहार, पटना से सम्पर्क स्थापित कर प्रत्येक विभाग के लिये समेकित अधिवक्ता या चार-पॉच अधिवक्ताओं की अलग पैनल की नियुक्ति हेतु एक बैठक करने का निदेश दिया गया ताकि मामलों को अधिक तत्परता से निष्पादित किया जा सके। प्राय: यह देखने में आता है कि प्रत्यके विभाग के अधिकांश मामलों की प्रकृति एक जैसी होती है तथा अलग-अलग सरकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से कार्रवाई में दिक्कत होती है।

3. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा प्रधान सचिव/सचिव को उच्च न्यायालय, पटना में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत पास दिखाकर Court परिसर में जाने हेतु व्यवस्था करने का प्रधान सचिव, गृह विभाग को निदेश दिया गया। गृह सचिव द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

4. शिक्षा विभाग में अवमाननावाद के 306 मामले एवं CWJC के 2018 मामले लंबित है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा लंबित मामलों त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

5. स्वास्थ्य विभाग में अवमाननावाद के 131 एवं CWJC के 1450 मामले लंबित है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा एक रणनीति (Strategy) बनाकर लंबित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया।

6. नगर विकास एवं आवास विभाग में अवमाननावाद के 91 एवं CWJC के 596 मामले लंबित है विभाग के सचिव द्वारा अवमाननावाद के 15 एवं CWJC के 30-40 मामलों में Statement of Facts संबंधित अधिवक्ता को भेजने की सूचना दी गई। लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निदेश मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिया गया।

7. पथ निर्माण विभाग में अवमाननावाद के 26 एवं CWJC के 82 मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सप्ताहिक समीक्षा कर लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने का निदेश दिया गया।

8. सहकारिता विभाग में अवमाननावाद के 72 एवं CWJC के 356 मामले लंबित है। विभाग के प्रधान सचिव द्वारा यह सूचना दी गई की अधिकांश मामले Biscoman से संबंधित है। विभाग द्वारा लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने हेतु प्रतिशपथ दायर किया जा रहा है।

9. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में अवमाननावाद के 52 एवं CWJC के 1214 मामले लंबित हैं। जिनमें प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर नहीं किया गया है। विभाग के निदेशक द्वारा Legal Cell बनाने एवं पदाधिकारियों को लंबित मामलों में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु पदस्थापित करने की सूचना दी गई। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विभागीय स्तर पर समीक्षा कर लंबित मामलों में शीघ्र निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

10. सामान्य प्रशासन विभाग में अवमाननावाद के 1 एवं CWJC के 23 मामले लंबित हैं। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रसन्नता व्यक्त की गई।

11. परिवहन विभाग में अवमाननावाद के 4 एवं CWJC के 31 मामले लंबित हैं। विभाग के अपर सचिव द्वारा अवमाननावाद के 2 मामले में कारण पृच्छा दायर करने एवं CWJC के

12 मामलों में SOF सरकारी वकील को भेजे जाने की अद्यतन सूचना दी गई। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा शेष लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निदेश दिया गया।

12. पंचायती राज विभाग को अवमाननावाद के 16 एवं CWJC के 452 मामले लंबित है। विभाग के प्रधान सचिव द्वारा अवमाननावाद के 5 मामलों के निष्पादन एवं CWJC के कुल 543 में से 452 मामलों के प्रक्रियाधीन होने की सूचना दी। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सप्ताहिक बैठक कर वादों की संख्या में कमी लाने का प्रयास करने का निदेश दिया।

13 बैठक के अंत में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विगत पाँच वर्षो में दायर एवं निष्पादित/लंबित वादों की सूची सचिव विधि विभाग को प्राप्त कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार के विरूद्ध लंबित मामलों की समीक्षा की जा सकें।

14. बैठक में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को निदेशित किया गया कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 का मुख्य उद्देश्य मुकदमों में कमी लाना है। अत: अपने कार्यालय में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में विभाग द्वारा शिकायत निवारण समिति के स्तर पर ही निष्पादित करें ताकि कम से कम मामला न्यायालय में जाय। अगली बैठक से इस संबंध में विधि विभाग द्वारा निर्गत नये संशोधित प्रपत्र में प्रतिवेदन दें।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

25/8/14

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/6079**जे0** **पटना, दिनांक-**25.08.14

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/6079**जे0** **पटना, दिनांक-**25.08.14

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/8

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।